झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

दशम् (मानसून)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 12.08.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री रामकुमार पाहन, लक्ष्मण टुडू एवं श्री मनीष जयसवाल स0वि0स0	राज्य में नए स्कूलों की स्थापना अनुमति देने पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित निजी स्कूलों को स्थापना अनुमति नही मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की अभाव के कारण सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नही है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना स्थापना स्वीकृति के कई निजी स्कूलों में लगभग 1500 से 2000 तक छात्र एवं छात्राएं पढ़ते है और कई स्कूलों से प्रति वर्ष 100 से 200 तक छात्र-छात्राएं मैट्रिक के परीक्षा में स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में शामिल होते है तथा स्कूलों का परीक्षाफल भी 100 फीसदी के साथ विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास भी करते है। स्थापना अनुमति के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को मैट्रिक के समय काफी परेशानी होती है। अतएव राज्य सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी स्कूलों जिसमें विद्यार्थियों की संख्या अच्छी हो एवं परिणाम अच्छा हो रहा हो उन निजी स्कूलों का सरकारी मापदण्ड को कम करते हुए स्थापना स्वीकृति हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
02-	श्री योगेश्वर महतो स0वि0स0	झारखण्ड प्रांत में विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निजी प्रतिष्ठानों में 40 प्रतिशत ग्रामीण विस्थापित हुए है, जो आज भी अपने हक अधिकार के लिए आंदोलनरत है। विस्थापितों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए आज भी राज्य में किसी स्वतंत्र निकाय के गठन के अभाव में विस्थापितों के साथ सरकारी उपक्रमों एवं निजी प्रतिष्ठानों में भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याएँ घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। अतः विस्थापितों के हित में अविलंब "विस्थापित आयोग" का गठन किया जाय, ताकि बड़ी संस्या में विस्थापितों की समस्याओं का समाधान जनहित में किया जा सके।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार
03	श्री प्रकाश राम एवं श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता स0वि0स0	लातेहार जिला अन्तर्गत बालूमाथ प्रखण्ड के ग्राम जोगियाडीह निवासी अनिता देवी (मसोमात) पति स्व0- दुखन भुईया वो रामलखन भुईया पिता- स्व0- दामोदर भुईया वो गंदरू नायक वो महेन्द्र नायक पिता करमदेव नायक व लालिमा मिंज पति जेम्स तिर्की ने बालूमाथ थाना में तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी एवं रेलवे के संवेदक पर उनके बंद घर को बिना सूचना के जे0सी0बी0 मशीन लगाकर ध्वस्त करने संबंधी दिनांक- 19.05.2017 को हरिजन आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने हेतु आवेदन दिया था परन्तु थाना प्रभारी, बालूमाथ श्री नंद किशोर प्रसाद द्वारा नियमानुसार FIR कर जाँच का जिम्मा पुलिस उपाधीक्षक को देने की जगह मुकदमा दर्ज नहीं करते हुए उपरोक्त सभी आवेदकों को लिखित रूप से सीधे न्यायालय जाने के लिए कहा गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी नंद किशोर प्रसाद द्वारा उपरोक्त अधिनियम की अवहेलना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ030

		के साथ-साथ अनुमण्डल पदाधिकारी एवं रेलवे संवेदक को अनाधिकृत रूप से लाभ पहुँचाने की कोशिश की गयी है। अतः उपरोक्त घटना की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं।	
04	सर्वश्री प्रो० स्टीफन मराण्डी, रवीन्द्रनाथ महतो एवं श्री साईमन मराण्डी स०वि०स०	राज्य के पाकुड़ जिला के अन्तर्गत हिरणपुर एवं महेशपुर में वर्षो से पशु हाट लगते आ रही है। इस हाट में सम्पूर्ण संथाल परगना के ग्रामीण कृषक लोग अपने कृषि कार्य के लिए मवेशियों का खरीद बिक्री करते आ रहे है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए गाय, बैल, बकरी, भैंस आदि जानवर पशु धन होते है तथा रोजमर्रा के कार्यो में इनका उपयोग होता है, यहाँ तक कि गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि जानवरों को शादी विवाह में वर एवं वधु पक्ष में उपहार स्वरूप लेने-देने का सामाजिक मान्यता प्राप्त है। परन्तु वर्त्तमान सरकार के द्वारा इन पशु हाटों को बन्द कर देने से आम ग्रामीण जनता को काफी परेशानी हो रही है। इससे कृषि कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे है। साथ ही बुरा वक्त में ग्रामीण कृषक अपने जानवरों को नहीं बेच पा रहे है और ना आवश्यकता के समय खरीद पा रहे है। इस प्रकार से सरकार का गो रक्षा के नाम पर उठाया गया यह कदम पूरी तरह से जन विरोधी है और आम जनता पूरी तरह से प्रभावित हो रहे है। अतएव सदियों से आ रही स्थानीय मवेशी हाट में जानवरों की खरीद बिक्री को बहाल करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
05	श्रीमती मेनका सरदार स०वि०स०	विधान सभा क्षेत्र पोटका अन्तर्गत "कृषि उत्पादन बाजार समिति, जमशेदपुर के अधीन"हल्दीपोखर साप्ताहिक हाट की भूमि में 23 लोगों द्वारा शेड का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण हाता उड़ीसा	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

कृ०पृ०3०

		मुख्य पथ अक्सर जाम रहता है। ग्रामीण कृषकों को अपना उत्पादन सड़क पर बैठकर बिक्री करना पड़ता है। अतः उधृत कृषि उत्पादन बाजार समिति की अतिक्रमित भूमि को जनहित में तत्काल अतिक्रमण मुक्त करने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहूँगी	

राँची,
दिनांक- 12 अगस्त, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-44/2017-2445/वि0 स0, राँची, दिनांक- 11/08/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-44/2017-2445/वि0 स0, राँची, दिनांक- 11/08/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

11/08/17